मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 17 नवम्बर, 1999 (कार्तिक 26, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का बत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उपलोक आयुक्त का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1998-99) एवं लोक आयुक्त संगठन का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उपलोक आयुक्त के सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी अंश का हिन्दी रूपान्तर पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री मुंशीलाल, सदस्य, चंबल नहर फूटने से अनेक क्षेत्रों के कृषकों की फसलों की क्षति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले की जैसीनगर पंचायत द्वारा आवासीय पट्टे वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. वर्ष 1999-2000 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1999-2000 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

5. वन मंत्री का वक्तव्य

श्री रत्नेश सॉलोमन, वन मंत्री, दिनांक 5 जुलाई, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्रमांक 344) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 1999 (क्रमांक 35 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री अजय मुशरान, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 36 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7 संकल्प

निर्धारित समय 3 घन्टे

श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"इस सदन का यह मत है कि पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण हेतु संविधान में आवश्यक प्रावधान करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाय."

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सोनेराम कुशवाह, हरीशंकर जायसवाल तथा श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे.

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 16 नवम्बर, 1999